

कार्यालय, कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0, गुमला।

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 1/2018-19

(विधायक मद)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :- कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0, गुमला
2. निविदा प्रकाशन की तिथि :- दिनांक 15.02.2019
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :- दिनांक 22.02.2019 (कार्यालय अवधि में)
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 23.02.2019 को 10.30 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 23.02.2019 को 3.30 बजे अपराह्न
6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, एन0आर0ई0पी0, गुमला
7. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, एन0आर0ई0पी0, गुमला
8. कार्य की विवरणी :-

क्र0	कार्य का नाम	प्रखण्ड	परिमाण विपत्र की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधान की राशि (सौ के गुणक में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	शहीद जतरा टाना भगत सरना उच्च विद्यालय, सुकुरहुटु लाल टोली सुपा-। के परिसर में शहीद जतरा टाना भगत जी का आदम कद मूर्ति का निर्माण ।	भरनो	2429970.00	5000.00	48600.00	03 माह

निविदा की शर्तें www.jharkhand.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

एन0 -


कार्यपालक अभियन्ता,
एन0 आर0 ई0 पी0,
गुमला।

ज्ञापांक :-/7..... दिनांक :- 13-02-2019

प्रतिलिपि :- जिला सुचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि उक्त निविदा को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने कृपा की जाए ।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता-सह-वेब मैनेजर, गुमला को सूचनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि उक्त निविदा को जिले के Website में Upload करने कृपा की जाए ।


प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, गुमला / उपायुक्त, गुमला को सादर सूचनार्थ समर्पित ।


कार्यपालक अभियन्ता,
एन0 आर0 ई0 पी0,
गुमला।

निविदा की शर्तें

- 1 प्राक्कलन की राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।
- 2 भवन निर्माण विभाग झारखण्ड में समुचित श्रेणी या इससे एक श्रेणी ऊपर में निबंधित संवेदक निविदा देने हेतु समक्ष होंगे। समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण करने वाले संवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 3 परिमाण विपत्र क्रय हेतु आवेदन के साथ NREP, गुमला में समुचित निबंधन प्रमाण-पत्र एवं उचित मूल्य का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (जो राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं जिसकी वैधता कम से कम 3 माह होनी चाहिए) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायगा।
- 4 आवंटन उपलब्ध रहने पर भुगतान किया जायेगा।
- 5 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
- 6 अग्रधन की राशि परिमाण विपत्र में अंकित राशि का 2 प्रतिशत जो एक सौ की गुणक में होगा एवं विधिवत कार्यपालक अभियंता NREP, गुमला के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा, जो डाकघर के राष्ट्रीय बचत पत्र का आठवें निर्गम 3/5 वार्षिक डाकघर सावधि जमा पासबुक / बैंक के द्वारा निर्गत 5 वार्षिक फिक्स डिपोजिट (एफ.डी.) के रूप में जमा करना होगा। तथा निविदा की निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। एकरारनामा के समय 3 प्रतिशत प्रारंभिक जमानत की राशि जो अग्रधन की 2 प्रतिशत राशि कुल मिलाकर पाँच प्रतिशत होगा एवं पाँच प्रतिशत चलता लेखा विपत्रों से अन्य सभी भातर्तों के साथ काटी जायेगी। झारखण्ड राज्य के बाहर के पोस्ट ऑफिस से निर्गत एन0एस0सी0/सावधि जमा पासबुक मान्य नहीं होगा।
- 7 परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण विपत्र में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता NREP, गुमला के पदनाम से होगा एवं अदायगी पर (जो लौटाया नहीं जायेगा) परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट गुमला में भुगतान होगा।
- 8 संवेदक को वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप मजदूरी का मजदूरी भुगतान करना अनिवार्य होगा जिसके लिए कार्य स्थल पर एक नोटिस बोर्ड पर आवश्यक सूचना विभाग से प्राप्त कर अंकित करनी होगी।
- 9 निविदादाता को अपने दर अंक एवं शब्दों में दर्ज करना होगा एवं निविदादाता द्वारा परिमाण विपत्र में अंकित दर से 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) से कम दर मान्य नहीं होगा।
- 10 वैसे संवेदक जिनके द्वारा पूर्व में आवंटित कार्य पूर्ण नहीं किया गया हो उनको कार्य आवंटन पर प्राथमिकता नहीं दिया जायेगा।
- 11 निर्माण कार्यों के लिए संवेदक को प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता प्रतिवेदन प्राप्त कर विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसका प्रबंध संवेदक को स्वयं करना होगा।
- 12 निविदा के साथ समुचित निबंधन प्रमाण-पत्र, अद्यतन आचरण प्रमाण-पत्र, अद्यतन जी0एस0टी0 रिटर्न प्रमाण-पत्र, विगत तीन वर्ष का आयकर सफाया (ITR) प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन एवं कार्य अनुभव अगर हो तो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 13 निविदा के साथ UCAN निबंधन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 14 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अनुसार 1 प्रतिशत उपकर प्रत्येक चलता लेखा विपत्र से काटी जायेगी।
- 15 निविदा जमा करते समय कंडिका 12 में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

- 16 विशेष परिस्थिति में सक्षम पदाधिकारी को निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 17 वैसे संवेदक निविदा में भाग नहीं लेंगे जिनके साथ किसी प्रकार का किसी विभाग के साथ धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 18 कार्य आवंटन होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा।
- 19 विशेष जानकारी के लिए कार्यपालक अभियन्ता NREP, गुमला के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा सूचनापट देखा जा सकता है।
- 20 निविदा की अन्य शर्तें निविदा पत्र के साथ संलग्न होगी जो निविदा दाताओं को मान्य होगा।
- 21 निविदा डालने से पूर्व निविदाकार कार्य स्थल का निरीक्षण कर एवं निर्माण सामग्रियों के श्रोतों की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
- 22 परिमाण विपत्र निबंधित ब्यक्ति या उनके द्वारा रजिस्टर्ड पावर ऑफ एटर्नी प्राप्त प्रतिनिधि को ही दिया जायेगा।
- 23 निर्माण कार्य में उपयोग होनेवाले सभी सामग्रियों की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जायगी। निर्माण कार्य में गुणवत्तायुक्त सामग्री उपयोग में लाये जायेंगे।
- 24 संवेदक द्वारा विगत 03 (तीन) वर्ष की अवधि में समान प्रकृति के कार्यों/कार्य का अनुभव निम्न रूप से होना आवश्यक होगा –
- कम से कम तीन कार्यों का सफल रूप से कार्य सम्पादित किया हो जिसका कार्य मूल्य इस कार्य के प्राक्कलित राशि की तुलना में 40 प्रतिशत से कम न हो।
- या
- कम से कम दो कार्यों को सफल रूप से सम्पादित किया गया हो जिसका कार्य मूल्य इस कार्य के प्राक्कलित राशि की तुलना में 50 प्रतिशत से कम न हो।
- या
- कम से कम एक कार्य को सफल रूप से सम्पादित किया गया हो जिसका कार्य मूल्य इस कार्य के प्राक्कलित राशि की तुलना में कम न हो।
- 25 निविदा प्राप्ति की तिथि को किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर अगले दिन निविदा प्राप्त की जायगी।
- 26 निविदादाताओं को संबंधित कार्य स्थल का चार स्तर पर (कार्य प्रारम्भ के समय, कार्य चालू में दो और कार्य पूर्ण) फोटोग्राफ देना होगा एवं शीलापट्ट लगाना अनिवार्य होगा।
- 27 कार्य आवंटन होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं कार्य अन्य संवेदक को आवंटित कर दी जायेगी। एकरारनामा के एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा।
- 28 निविदा के संबंध में झारखण्ड सरकार या भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा निर्गत सभी अद्यतन परिपत्र लागू होंगे।
- 29 इस कार्य से संबंधित किसी भी वाद का निपटारा स्थानीय न्यायलय, गुमला में ही होगा।


कार्यपालक अभियन्ता
एन0आर0ई0पी0
गुमला।